न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 155/21 (वाद)
GCMS No. : 2021/307

अनवान

1. श्री लालसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी मोतीखेडा तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती राज कुमारी पत्नी खेमराज मेनारिया निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
2. श्री खेमराज पिता ईश्वरलाल मेनारिया निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
3. श्री योगेश पिता खेमराज मेनारिया निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 13.11.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 2780, 4818/2782 किता 2 कुल रकबा 1.0279 हेक्टेयर उक्त आराजीयात सम्पूर्ण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुझ वादी के नाम पर अंकित हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के रूप में मुझ वादी के नाम पर अंकित हो उक्त भूमि पर मै वादी काबिज हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है जिसके चारो तरफ मैने बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। मेरी उक्त आराजीयात बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से विवाद होने पर मैने आप न्यायालय में पत्थरगढी का वाद प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 141/09 वाद है जिसके निर्णय दिनांक 03.06.2010 की पालना में माननीय न्यायालय आप के आदेश से हल्का [illegible] द्वारा दिनांक 09.07.2010 को मौके की नाप जोख कर पत्थरगढी कर मौके [illegible] नपती के पत्थर गडवा रखे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण ने भी अपनी खातेदारी की जमीन पर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है फिर भी प्रतिवादी संख्या 2 जो कि सरकारी अध्यापक है और एलानिया धमकी दे रहा है कि मेरी सब तरफ जान पहचान है इसलिए तुम अपनी जमीन हमे बेचकर चले जाओ वरना मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके रहूंगा।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित जमीन भी मेरी उक्त आराजीयात के सटमा स्थित है और प्रतिवादीगण मेरी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के पडौसी है और इन्होने भी अपनी जमीन पर बाउण्ड्रीवाल बनवा रखी है परन्तु इनकी नियत में फितूर उत्पन्न हो जाने से ये तीनो प्रतिवादीगण जो एक ही परिवार के सदस्य है जबरन मेरी उक्त आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है जबकि इनका मेरी उक्त खातेदारी व कब्जेसुदा भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है फिर भी अकारण हम सलाह एक राय होकर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है और इसी नियत से आये दिन मेरी खातेदारी व कब्जेसुदा भूमि में दखलन्दाजी करते रहते है और मेरी बाउण्ड्रीवाल तोड दी जिसकी रिपोर्ट भी मैने थाना डबोक में दिनांक 05.07.2021 को दी जिस पर पुलिस द्वारा इनके विरूद्व धारा 427, 447 ता.हि. में रिपोर्ट दर्ज की और चालान पेश किया जा चुका है व न्यायालय में विचाराधीन है फिर भी प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते है जिसका इनको कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है कि ये लोग उक्त वर्णित मेरी खातेदारी व कब्जेसुदा आराजीयात जिस पर मैने बाउण्ड्रीवाल कर रखी है मै किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे और मुझ वादी को शांतिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें।

4. यह कि वादी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित आराजीयात का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूं और सुविधा संतुलन भी मुझ वादी के पक्ष में है क्योंकि मुझ वादी ने उक्त अपनी भूमि पर बाउण्ड्रीवाल कर तन्हा रूप से काबिज हो लगातार निरन्तर बिना [illegible] के उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं और वर्तमान में [illegible] ही कब्जे [illegible]भोग में है जिसमें प्रतिवादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है फिर भी यदि प्रतिवादीगण उक्त भूमि में जबरन ताकत के बल पर दखलन्दाजी कर कब्जा कर लेगे तो इनके उक्त अवैधानिक कृत्य से जो क्षति मुझ वादी को होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव है और स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

5. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण अंतिम बार दिनांक 04.07.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने उक्त वर्णित मेरे खातेदारी व कब्जेसुदा भूमि में पूर्व दिशा में कोण उत्तर में बनी करीबन 15 पन्द्रह फीट बाउण्ड्रीवाल को सांयकाल करीबन 6.00 बजे अपने साथ चार पांच व्यक्तियों को और लाकर तोडकर नीचे गिरा दी और जबरन कब्जा करने पर उतारू हुए जिसकी रिपोर्ट भी मैने थाना डबोक में दिनांक 05.07.2021 को दी उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन जिस पर मेने पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है मैं किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न कब्जा करे, न बाउण्ड्रीवाल तोडे और मुझे शांतिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

8. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री लालसिंह पिता रामसिंह राजपूत का पेश किया।

9. वादी द्वारा दस्तावेज मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 297 प्रदर्श 1, मौजा मोतीखेडा का आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, मौके के फोटो ग्राफ्स प्रदर्श 3, एफ आई आर की प्रति प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मोती खेडा पटवार हल्का गुडली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 297 पर दर्ज आराजी नम्बर 2780, 4818/2782 किता 2 कुल रकबा 1.0279 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम तन्हा खातेदारी हक से दर्ज हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण मुझ वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि मौजा मोती खेडा पटवार हल्का गुडली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 297 पर दर्ज आराजी नम्बर 2780, 4818/2782 किता 2 कुल रकबा 1.0279 हेक्टेयर के अनुसार वादी रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो वादी कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मोती खेडा पटवार हल्का गुडली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 297 पर दर्ज आराजी नम्बर 2780, 4818/2782 किता 2 कुल रकबा 1.0279 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री लालसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी मोतीखेडा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती राज कुमारी पत्नी खेमराज मेनारिया निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
2. श्री खेमराज पिता ईश्वरलाल मेनारिया निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
3. श्री योगेश पिता खेमराज मेनारिया निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 155/21 (वाद)

GCMS No. : 2021/307

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मोती खेडा पटवार हल्का गुडली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 297 पर दर्ज आराजी नम्बर 2780, 4818/2782 किता 2 कुल रकबा 1.0279 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested